

-:अधिसूचना:-

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (सन् 1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित स्थानों पर उनके समक्ष उल्लेखित क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमाओं में अधिकारिता वाले विशेष न्यायालय सृजित एवं विनिर्दिष्ट करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार की प्रादेशिक सीमा (राजस्व जिला)
1.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, सीकर	सीकर	सीकर
2.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द	राजसमन्द	राजसमन्द
3.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़
4.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, चूरू	चूरू	चूरू
5.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जालोर	जालोर	जालोर
6.	विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जैसलमेर	जैसलमेर	जैसलमेर

राज्यपाल के आदेश से
27.9.19
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/03/90/ 1367

Dated: 01/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges
3. Concerned Chief Judicial Magistrates
4. Concerned Special Judge SC/ST (POA) Act Cases.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ computer cell (with a direction to upload the same on High Court website.

01-10-19
REGISTRAR (RULES)